



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022026-270239
CG-DL-E-18022026-270239

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 793]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 16, 2026/माघ 27, 1947

No. 793]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 16, 2026/MAGHA 27, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2026

का.आ. 831(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4132(E) तारीख 11/09/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम् जिले में (दोर्नाला से कुंटा सेक्शन) राष्ट्रीय राजमार्ग 765 के कि.मी. 248.00 से कि.मी. 267.990 तक के भूखण्ड पर के निर्माण, (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 4-लेन/6-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "01.10.2025" को "आंध्र प्रभा" और "द हंस इंडिया" में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम् जिले में (दोर्नाला से कुंटा सेक्शन) राष्ट्रीय राजमार्ग 765 के कि.मी. 248.00 से कि.मी. 267.990 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: प्रकाशम्		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: दोर्नाला					
गांव का नाम: दोर्नाला					
1	200/2	निजी (निजी)	ड्राई एग्रीकल्चर	0.00405	1.मिरियाला भास्कर एँस्/ओ.बालाकोटैया
2	75/1सी2	निजी (निजी)	ड्राई एग्रीकल्चर	0.02024	1.डेरंगुला पेडुक्का डबल्यू/ओ पेडु गलेय्या 2.डेरंगुला कोटम्मा डबल्यू/ओ चिन्ना गलेय्या
3	75/1डी1	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.01214	1.डेरंगुला पेडुक्का डबल्यू/ओ पेडु गलेय्या 2. डेरंगुला कोटम्मा डबल्यू/ओ चिन्ना गलेय्या
4	75/2ए2	निजी (निजी)	ड्राई एग्रीकल्चर	0.08094	1.मेनावथ बालाजी नाइक एँस्/ओ.चंदे नाइक 2.शैक बाजा वाली एँस्/ओ.खासिम पीरा 3.नारापुरेडु रामा सुब्बम्मा डबल्यू/ओ.शिवप्रसाद रेडु 4.मंडला थिरुपथी आर्एओ एँस्/ओ.लक्ष्मैया
5	79/2बी	निजी (निजी)	ड्राई एग्रीकल्चर	0.00809	शैक खैरुनबी डबल्यू/ओ.हबीब 79/2B1

6	80बी/2बी3बी	निजी (निजी)	ड्राई एग्रीकल्चर	0.06273	बोगगारापु रमेश ऐस्/ओ.पेड्डा चेंचैया
7	90बी/1बी1ए1बी	निजी	ड्राई एग्रीकल्चर	0.32781	चित्थाला संधी रेड्डी ऐस्/ओ.वेंकटा रेड्डी नल्लापोथुला रामुलू ऐस्/ओ.योगय्या गज्जला सुबैया ऐस्/ओ.यरामुलू शैक मौलाबी डबल्यू/ओ.डुडेकुला बाशा वनमाला चेन्ना लक्ष्मी डबल्यू/ओ.वीरैया गारिका लक्षम्मा डबल्यू/ओ.चिन्ना पलनकैया यक्कांति सैलाजा डबल्यू/ओ.बुर्री सथीश रेड्डी यक्कांति रामा देवी डबल्यू/ओ.वेंकटेश्वर रेड्डी अमीरेड्डी लक्ष्मी रेड्डी ऐस्/ओ.नारायणारेड्डी गोल्लामारू वेंकटम्मा ऐस्/ओ.पोलिरेड्डी रावुरी तेजोमणि डबल्यू/ओ.मल्लिकार्जुन रागुलाकोल्लू गली वेंकटेश्वरलु ऐस्/ओ.वेंकटा नरसैया गंटा गुरवा रेड्डी ऐस्/ओ.चिन्ना चलमा रेड्डी
8	98/1बी	निजी (निजी)	ड्राई एग्रीकल्चर	0.01214	शैक बशीर उन्नीसा डबल्यू/ओ.दस्तगिरी शैक मभू सुभानी ऐस्/ओ.हुसैन पीरा 98/1A2
तालुक का नाम: पेद्दारवीदु					
गांव का नाम: बोयादागुम्पाला					
9	118/1	निजी (निजी)	ड्राई एग्रीकल्चर	0.16593	जेस्टा ऐस्आरऐ लक्ष्मी डबल्यू/ओ राजा सेखर
Total				0.69407	

[फा. सं RC.G1.146/2022/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th February, 2026

S.O. 831(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4132(E) Dated:11/09/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building of (Widening/Four lane with paved shoulder/Six laning etc.) Maintenance, management and operation of National Highway 765 on the stretch of land from Km 248.00 to Km 267.990 (Dornala to Kunta Section) in the district of PRAKASAM in the state of ANDHRA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in ``Andhra prabha`` and ``The Hans India`` both Dated 01.10.2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling National Highway 765 in the stretch of land from Km. 248.00 to Km. 267.990 (Dornala to Kunta Section) in the district of PRAKASAM in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: PRAKASAM		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Dornala					
Village: Dornala					
1	200/2	Private	DRY Agriculture	0.00405	1.MIRIYALA BHASKAR S/o.BALAKOTAIAH
2	75/1C2	Private	DRY Agriculture	0.02024	1.DERANGULA PEDDAKKA W/O PEDDA GALEYYA

					2.DERANGULA KOTAMMA W/O CHINNA GALEYYA
3	75/1D1	Private	DRY AGRICULTURE	0.01214	1.DERANGULA PEDDAKKA W/O PEDDA GALEYYA 2. DERANGULA KOTAMMA W/O CHINNA GALEYYA
4	75/2A2	Private	DRY Agryculture	0.08094	1.MENAVATH BALAJI NAIK S/o.CHANDE NAIK 2.SHAIK BAJA VALI S/o.KHASIM PEERA 3.NARAPUREDDY RAMA SUBBAMMA W/o.SIVAPRASAD REDDY 4.MANDALA THIRUPATHI RAO S/o.LAKSHMAIAH
5	79/2B	Private	DRY Agryculture	0.00809	SHAIK KHAIRUNBEE W/o.HABEEB 79/2B1
6	80B/2B3B	Private	DRY Agryculture	0.06273	BOGGARAPU RAMESH S/o.PEDDA CHENCHIAIAH
7	90B/1B1A1B	Private	DRY AGRICULTURE	0.32781	CHITYALA SANDHI REDDY S/o.VENKATA REDDY NALLAPOTHULA RAMULU S/o.YOGAIAH GAJJALA SUBBAIAH S/o.YRAMULU SHAIK MOULABI W/o.DUDEKULA BASHA VANAMALA CHENNA LAKSHMI W/o.VEERIAIAH GARICA LAKSHAMMA W/o.CHINNA PALANKAIAH YAKKANTI SAILAJA W/o.BURRI SATHISH REDDY YAKKANTI RAMA DEVI W/o.VENKATESWARA REDDY AMIREDDY

					LAKSHMI REDDY S/o.NARAYANAREDDY GOLLAMARU VENKATAMMA S/o.POLIREDDY RAVURI TEJOMANI W/o.MALLIKARJUNA RAGULAKOLLU GALI VENKATESWARLU S/o.VENKATA NARSAIAH GANTA GURAVA REDDY S/o.CHINNA CHALAMA REDDY
8	98/1B	Private	DRY Agryculture	0.01214	SHAIK BASHEER UNNISA W/o.DASTAGIRI SHAIK MABHU SUBHANI S/o.HUSSAIN PEERA 98/1A2
Taluk: Peddaraveedu					
Village: Boyadagumpala					
9	118/1	Private	DRY Agryculture	0.16593	JESTA SRI LAKSHMI W/O RAJA SEKHAR
Total				0.69407	

[F. No. RC.G1.146/2022/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director